an>

Title: Need to restrict use of vulgar terms in the name of freedom of speech.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सराहनीय है, लेकिन जब किसी चीज का दुरुपयोग होने लगे तो वह अच्छा नहीं है। आज कल सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और फेसबुक पर इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह के संदेश भेजे जा रहे हैं, जिससे देश का हर वर्ग दुःखी है। पॉलिटीशयन्स को, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हों, विधायक हों या सांसद हों, सबको भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं और असंसदीय भाÂषा का प्रयोग करते हुए, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। इससे कोई अछूता नहीं है, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर जाति, सबके विरूद्ध, मेरे मोबाइल में भी एक मैसेज है, सबके मोबाइल में यह होगा, किसी सिरफिरे ने यहां तक कहा है कि लोक सभा को हिम्मत है तो इम्पीचमेंट लाये और पूरे संसद को क्या-क्या नहीं कहा गया है, वह भाषा असंसदीय है, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहां नहीं कर सकता हूं।

मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, उन पर नियंत्रण हो।...(व्यवधान) इसकी इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी की भावना को आहत करे और इस तरह से समाज में तनाव पैदा करे, समाज को विघटित करने, तोड़ने और कमजोर करने का काम करे। इस पर नियंत्रण होना चाहिए, इस पर कानून बने और इन चीजों को बंद किया जाना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Rekha Verma, Shrimati Veena Devi, Shrimati Anju Bala, Shrimati Neelam Sonker, S/Shri Ashwini Kumar Choubey, Bhairon Prasad Mishra, Sharad Tripathi, Nishikant Dubey, Sunil Kumar Singh and *m11 Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Sushil Kumar Singh.